

नगर निगम, कोटा दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA SOUTH/FIRENOC/2025-26/56802
जारी दिनांक: 10-SEP-2025 वैधता दिनांक: 09-SEP-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: JASJEET SINGH WALIA
आवेदक का पता: RAWATBHATA ROAD

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन NARAYANA EDUCATIONAL SOCIETY, KHASRA NO 52 55 58 59, RAWATBHATA ROAD, SHIVPURA VILLAGE, KOTA SOUTH, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

- उक्त फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा। फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु वैधता दिनांक से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उक्त भवन/परिसर में बैसमेंट के निर्माण हेतु स्वीकृति संबंधित नगर निगम कोटा/कोटा विकास प्राधिकरण से लिया जाना आवश्यक है। स्वीकृत बैसमेंट में केवल मानव रहित कार्य/गतिविधियां संचालित की जायेंगी, लाईब्रेरी/मैस/कम्प्यूटर लैब/कैफे/अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जायेंगी।
- उक्त भवन/परिसर के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जावेगा। यदि भवन में सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है तो उसकी स्वीकृति केईडीएल या संबंधित विभाग से प्राप्त करनी होगी।
- भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व ज्वलनीय पदार्थ नहीं रखा जायेगा।
- भवन/परिसर के संचालक/मालिक द्वारा 24 घंटे फायर फाईटर तैनात करने होंगे तथा स्वयं के स्तर पर वर्ष में तीन बार फायर मॉकड्रिल आयोजित किया जाना अनिवार्य है।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन/परिसर में रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है।
- भवन/परिसर में आपातकालीन सेवाओं जैसे अग्निशमन, पुलिस, एंबुलेंस के दूरभाष नंबर साईन बोर्ड पर अंकित कर लगवाने होंगे।
- भवन/परिसर का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में रखना होगा। अग्नि दुर्घटना होने पर संचालक/मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा। अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन/परिसर तक पहुंच सके इसके लिए अवरोध रहित पर्याप्त खुला स्थान रखना होगा तथा भवन के आवागमन हेतु एक ही प्रवेश एवं निकास द्वार होने पर आपातकालीन निकास द्वार/आपातकालीन निकास होना अनिवार्य है।
- भूमि व भवन रहवास संबंधित किसी भी प्रकार के वाद-विवाद हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस आशय में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- संचालक/मालिक को उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करना होगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को स्वतंत्र रूप से होगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा दक्षिण